

माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने के लिए डीपीआर बनेगी

सात हजार करोड़ रूपए की परियोजना से पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर की पेयजल समस्या का स्थाई निदान होगा

जयपुर, 6 अगस्त। पाली, जालोर, सिरोही बाड़मेर में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब मूर्त रूप लेगा। इस विषय को लेकर सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ एक अहम बैठक हुई। बैठक में सात हजार करोड़

- मुख्यमंत्री भजनलाल, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने परियोजना के बारे में विस्तार से ब्रीफ किया।
- वाफ़ोस ने परियोजना की इन्सपैक्शन रिपोर्ट जल संसाधन संभाग को सौंपी।

रुपए के इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के संबंध में चर्चा हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने माही एवं सोम नदी का मानसून अवधि का अधिशेष जल, जयसमंद बांध सहित अन्य बांधों को भरते हुए जवाई बांध तक लाने संबंधी कार्य की, 2024–25 के बजट में घोषणा की थी। इस



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बुधवार को सुमेरपुर विधायक व कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने एक बैठक में माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाले सात हजार करोड़ रूपए के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा की।

परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए 15.60 करोड़ रूपए की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति जल संसाधान विभाग, जयपुर के मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। इस कार्य के लिए अधिशासी अभियंता, जल संसाधान खंड सलूंवर ने

वाफ़ोस लिमिटेड से अनुबंध कर कार्यदेश भी जारी कर दिए। इसके बाद वाफ़ोस द्वारा इन्सपेक्शन रिपोर्ट जल संसाधन संभाग, उदयपुर को प्रस्तुत किये जाने के बाद विभाग ने उसका अनुमोदन भी कर दिया है।

कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने

बताया कि सात हजार करोड़ रूपए का यह महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरा होने पर उदयपुर, सिरोही, पाली एवं जोधपुर जिले में पेयजल संबंधी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही, 16 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का पुनर्स्थापन होगा।

विपक्ष ने संसदीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उन झूठे दावों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है, जो संसद को सुचारु रूप से चलने से रोक रहे हैं।”

गोगोई ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि 1961 में राज्यसभा में चुनाव आचार संहिता के नियमों में संशोधन पर बहस हुई थी, उस चर्चा का नेतृत्व उस समय के कानून मंत्री गोपाल स्वर्ण पाठक ने किया था। गोगोई ने बताया कि 1981 में, कांग्रेस सांसद मनुभाई पटेल ने चुनावी कानूनों की समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस सांसद ने कहा, “1991 में, राज्यसभा में मौजूदा चुनावी कानूनों में संशोधन की तत्काल आवश्यकता पर बहस हुई। 2015 में, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने प्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) के लिए

प्रॉक्सी और ई-पोस्टल वोटिंग पर “कॉलिंग अटेंशन मोशन” प्रस्तुत किया था। कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने विपक्ष की राय को मानने की बात स्वीकार की।”

गोगोई ने कहा कि हाल ही में, 2019 में भी चुनावी सुधारों पर “अल्पकालिक चर्चा” हुई थी, जिसमें तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाग लिया था। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। सरकार को इस लंबे समय से लंबित और आवश्यक बहस में देरी नहीं करनी चाहिए।

गोगोई ने कहा, “आइए, संसद में चुनावी सुधारों पर चर्चा करें।” रमेश ने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि 1986 में भी व्यापक चुनावी सुधारों की आवश्यकता और संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करने पर चर्चा हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडू की “विद यू स्टालिन” योजना को हरी झंडी दी

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की “विद यू स्टालिन” योजना में वहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नाम के इस्तेमाल पर रोक वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को रद्द दिया।

इसके साथ ही अदालत ने सरकारी योजना के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले अन्नाद्रमुक सांसद सी.वी. धनमुगम पर अदालत का समय बर्बाद करने के एवज में 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। मुख्य न्यायाधीश जी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने उच्च न्यायालय का आदेश रद्द करते हुए, उसके खिलाफ राज्य सरकार और द्रविड़ मुनेत्र कडगम (द्रमुक) पार्टी की अपील स्वीकार कर ली। पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा, हमने बार-बार कहा है कि राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए। अदालतों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक हिंसा-खिलाफ निपटारने के लिए किया जाना चाहिए। इस आदेश के साथ ही शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की विद यू स्टालिन योजना हरी झंडी दे दी।

‘अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए राज्य सरकारें चार हफ्ते में अधिसूचनाएं जारी करें’

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे अनाथ, कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटे के तहत मुफ्त शिक्षा देने की अनुमति संबंधी अधिसूचनाएं चार सप्ताह के अंदर जारी करें।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और

उत्तरकाशी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के जगह-जगह अवरोध हो जाने के कारण अनेक वाहन अब भी रास्ते में फंसे हुए हैं। हर्षित स्थित सेना के कैंप में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिससे क्षेत्र में लॉजिस्टिक चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं। जैसे-जैसे खोज और बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है, स्थानीय अधिकारियों का मानना ​​है कि मृतकों के आँकड़े में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं और कई गांवों से संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। उत्तरकाशी इस समय हाल के वर्षों की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा की चपेट में है।

सीजेआई गवई का सीनियर वकीलों को अल्टीमेटम

नई दिल्ली, 06 अगस्त। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी आर गवई ने बुधवार, 6 अगस्त 2025 को साफ कर दिया कि 11 अगस्त से कोई भी सीनियर वकील उनकी अदालत में तत्काल सुनवाई के लिए मामले नहीं ला सकेगा। ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे जूनियर वकीलों को ऐसा करने का मौका मिल सके।

सीजेआई गवई ने वकीलों की ओर से तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई

- गवई ने कहा, 11 अगस्त से मेरे कोर्ट में कोई भी सीनियर वकील तत्काल सुनवाई के लिए केस नहीं ला सकेगा।

के लिए मामलों का मौखिक उल्लेख करने की प्रथा को दोबारा शुरू कर दिया था, जिसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बंद कर दिया था।

सीजेआई गवई ने कहा, “इस बात की पुर्खुर मांग उठ रही है कि सीनियर वकीलों को किसी भी मामले में तत्काल सुनवाई के लिए मेशन न किया जाए।”

उन्होंने अदालत के कर्मचारियों से कहा कि वे एक नोटिस जारी करें कि सोमवार से उनकी अदालत में किसी भी वरिष्ठ वकील को तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई के लिए मामलों का लाने की इजाजत नहीं होगी।

सीजेआई ने कहा सोमवार से किसी भी सीनियर वकील, किसी भी नामित सीनियर वकील को मामलों का उल्लेख करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जूनियर वकीलों को ऐसा करने का मौका दिया जाना चाहिए।

मैडिकल बोर्ड में 29 में से 24 लोक सेवक दिव्यांग कैटेगिरी के लिए अनफिट निकले

जयपुर, 6 अगस्त । एसओजी ने सरकारी नौकरी में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। एसओजी पुलिस अधीक्षक ज्ञान चंद ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से सूचना मिली कि विगत समय से विभिन्न सरकारी नौकरियों में अनेक चयनित उम्मीदवारों ने दिव्यांग नहीं होते हुए भी फर्जी तरीके से बनवाया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है।

सूचना मिलने के बाद एसओजी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मोणा के नेतृत्व में जांच दल गठित कर एसएमएस मैडिकल कॉलेज के विभिन्न विशेषज्ञों का बोर्ड गठित करवा कर दिव्यांग श्रेणी के लोक सेवकों की पुनः मैडिकल जांच करवाई गई, जिसमें 29 दिव्यांग लोक सेवकों की मैडिकल जांच कि रिपोर्ट प्राप्त की, जिसमें से मात्र 5 लोक सेवकों में दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना पाया

- एसओजी ने दिव्यांगत प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी पाने के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया।
- सबसे ज्यादा अनफिट कर्मचारी श्रव्य बाधित श्रेणी में पाए गए।

गया और बाकी 24 तथाकथित दिव्यांगों को मैडिकल बोर्ड ने दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट बताया। श्रव्यबाधित 13 में से 13 लोक सेवक दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट पाए गए। दृष्टिबाधित तथाकथित 8 दिव्यांग में से 6 दिव्यांग कैटेगरी के नहीं पाए गए। इसी तरह लोकोमोटर एवं अन्य प्रकार के 8 लोक सेवकों में से 5 दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट पाए गए।

अनफिट पाए गए लोक सेवक हैं- महेन्द्र पाल पुत्र गिरधारी सिंह, तहसील पुलिस थाना भीम राजसमंद; सवाई सिंह गुर्जर टिगरिया का पुरा, हिण्डीन, करौली; हनुदु गुर्जर चंदवाजी जयपुर; मनीष कुमार कटारा बरीली, रुपवास, भरतपुर; केशव उर्फ खूब्वाराम रेनवाल; कविता रेनवाल; बिकेश कुमार नदबई; भरतपुर; भानुप्रताप कटारा, रुपवास; नफीस जुहरार, भरतपुर; रणजीत सिंह बयाना, भरतपुर; कलुआ राम बयाना भरतपुर; पवन कुमार आबूरोड सिरौही; विनोद कंवर आबू रोड सिरौही; दिनेश कुमार, धौरीमन्ना बाड़मेर; लोकेश नदबई भरतपुर; संजय नौखा बीकानेर; दीपू डीडवाना, कुचामन; गैंगू बलूपुरा पाली; प्रशांत सिंह गांधी नगर सिरौही; छिन्दूपाल सिंह केसरीसिंहपुरा गंगानगर; आसी कुमारी मारुडी, बाड़मेर; डॉ शंकर लाल मोणा देवपुरा बूंदी; गंगादास चौधरी रुपनगढ़ जिला अजमेर; किशोर सिंह सबलपुर डीडवाना कुचामना

एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक बयान में बताया कि 1 अक्टूबर से एयर इंडिया के सभी इंटरनेशनल फ्लाइटों की आवाजाही पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। मतलब कि एक अक्टूबर से प्रयर इंडिया के इंटरनेशनल विमानों की आवाजाही 12 जून से पहले वाली स्थिति में आ जाएगी।

अहमदाबाद हार्दसे के बाद एयर इंडिया के, इंटरनेशनल के साथ-साथ, घरेलू विमानों की उड़ानों पर भी असर पड़ा था। दुर्घटना के बाद, एयर इंडिया ने सुरक्षा जांच लॉन्च रहने तक अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आंशिक रूप से रोक दिया था।

समुद्री माल परिवहन बिल पर संसद की मुहर

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। भारत से शेष दुनिया के समुद्री बंदगाहों तक माल ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों और अधिकार तथा छूट से संबंधित प्रावधानों वाले समुद्री माल परिवहन विधेयक को बुधवार को राज्य सभा ने विधेयक के हंगामे के बीच पारित कर दिया। इसके साथ ही, इस विधेयक पर संसद की मुहर लग गयी। इस विधेयक को लोक सभा ने गत 28 मार्च को पारित किया था।

राज्य सभा में आज शुद्धकाल के दौरान पहले स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे कार्यवाही पुनः शुरू होने पर विपक्ष

के हंगामे के बीच पीठासीन उपसभापति भुवनेश्वर कलिता की अनुमति से मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चल रहे मणिपुर के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित आय-व्यय का ब्यौरा रखा। हंगामे के बीच ही, विधायी कार्य के एजेंडा में पहले स्थान पर उल्लिखित समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पर चर्चा करायी गयी। इस विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के कतिपय संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज करने के बाद, विधेयक को बख्तित करने से अनुमोदित कर दिया गया।

‘वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों का ब्यौरा शनिवार तक पेश करें’

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिए

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह विशेष पुनरीक्षण के दौरान बिहार मतदाता सूची से हटाये गए 65 लाख लोगों (मृत और स्थायी पलायन करने वाले) का विवरण शनिवार तक दे।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्स (एडीआर) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण की गुहार पर यह निर्देश दिया। पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा, शनिवार तक जवाब दाखिल करें और भूषण को इसे देखने दें। फिर हम देख पाएंगे कि क्या खुलासा हुआ है और क्या नहीं।

पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी जाएगी।

इस पर चुनाव आयोग के

- चुनाव आयोग ने कहा कि राजनैतिक दलों को यह जानकारी दी गई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन दलों की लिस्ट मांगी जिन्हें यह जानकारी दी गई है।

अधिवक्ता ने कहा कि वह प्रस्तुत करेगा कि यह जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जानकारी साझा की गई है। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि वह अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखे। पीठ ने निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता से कहा, उन राजनीतिक दलों की सूची दीजिए, जिन्हें यह जानकारी दी गई है। हम 12 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे। तब तक अपना (निर्वाचन आयोग का) जवाब दाखिल करें।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की जिताओं पर कहा, हम यह सुनिश्चित

करेंगे कि प्रभावित होने वाले प्रत्येक मतदाता को आवश्यक जानकारी मिले। एडीआर ने अपने आवेदन में कहा कि 25 जुलाई को निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस विज्ञापन जारी की, जिसमें कहा गया था कि लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

भूषण ने पीठ के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा, ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख नामों के छूटने की बात कही गई है, लेकिन इन नामों को कौी सूची नहीं दी गई। इसमें 32 लाख लोगों के पलायन की बात कही गई, लेकिन कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा, उन्हें (चुनाव आयोग) यह बताना चाहिए कि 65 लाख लोग कौन हैं? कौन पलायन कर गए हैं। कौन मर गए हैं? जाहिर है, बीएलओ ने उस व्यक्ति को हटाने या न हटाने की सिफारिश की है। भूषण ने दलील दी थी कि चुनाव आयोग ने दो निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। अन्य क्षेत्रों का क्या हुआ?

एस.सी.ओ. सम्मेलन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की आवश्यकता के साथ संतुलित करना, भारत-चीन संबंधों की परिपक्वता की परीक्षा होगी। भारत के लिए यह यात्रा चीन की पाकिस्तान नीति पर असंतोष जताने के साथ-साथ व्यापार, तकनीक और बहुध्रुवीय वैश्विक शासन पर साझा सोच तलाशने के लिए भी होगी।

मोदी की चीन यात्रा भारत की व्यापक विदेश नीति में एक पुनर्मूल्यांकन का प्रतीक है, जो एक ध्रुवीकृत होते जा रहे विश्व में रणनीतिक लचीलापन बनाए रखने की कोशिश को दर्शाता है। वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के बीच यह संतुलन भारत की अगली कूटनीतिक दिशा को परिभाषित कर सकता है।

इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन में 10 सदस्य देशों के साथ बातचीत में आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दे शामिल रहने की संभावना है।

प्र.मंत्री ने कर्तव्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय होगा।

कर्तव्य भवन में पानी की ज़रूरतों के एक बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग की व्यवस्था की गयी है। यह भवन 30 प्रतिशत कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें इमारत को ठंडा रखने और बाहरी

शोर को कम करने के लिए विशेष कांच की खिड़कियाँ हैं। ऊर्जा-बचत करने वाली एलईडी लाइटें, ज़रूरत न होने पर लाइटें बंद करने वाले सेंसर, बिजली बचाने वाली स्मार्ट लिफ्टें और बिजली के उपयोग को मॉनिटर करने की एक उन्नत प्रणाली हैं। कर्तव्य भवन-3 की छत पर लगे सौर पैनल हर साल 5 लाख 34 हजार यूनिट से ज्यादा बिजली पैदा करेंगे।